



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/SER-1230/MCOL/12/2024-SSW-RU-IV

दिनांक : 18.03.2025

सेवा मे,

श्री निलेन्दु कुमार सिंह
अध्यक्ष प्रबंध-सह-निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,
रांची, झारखंड - 834029
Email Id: cmd.ccl.cil@coalindia.in

विषय: CCL, Kujju Colliery द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति ना देने एवं CMPF राशि का भुगतान ना करने के संबंध में श्री -
प्रदीप पहान, कुजू कोलियरी, ग्राम कुल्ली, पोस्ट कुच्चू, जिला अभ्यावेदन
संदर्भ: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड पत्र सं PD-IR/SC-ST Cell/P. Pahan/2024/C-29/585 दिनांक 01.11.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **28.03.2025 को 02:40 PM** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : yashuul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री प्रदीप पहान,
कुजू कोलियरी, ग्राम कुल्ली,
पोस्ट कुच्चू, जिला रांची -
झारखंड
(Mobile No:9034385527)

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading